No. 17/115/2011/Pers/BSF/ 648 - 998

Government of India
Ministry of Home Affairs
Directorate General, Border Security Force
(Personnel Directorate)

Block No-10, 5th Floor
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110 003

Dated, the 3 Jan, 2013

To

All Frontier HQrs BSF
All Sector HQrs/DIsG ISD
All BNs BSF (THQ/Bn HQ)
All Training Institutions BSF/STCs
CENWOSTO/TSU Tekanpur
SIW/SRO/ATS Tekanpur
Water Wing Bhuj (Guj)/ Madhopur(Pb)
South Bengal (Kolkata) & Dhubri (Assam)

Sub:- **FORWARDING OF BSF BORDER SECURITY FORCE, HEADQUARTERS, ASSISTANT SUB-INSPECTOR(DRAFTSMAN GRADE-III), OPERATIONAL DIRECTORATE (COMBATISED) RECRUITMENT RULES 2012**

The notified Recruitment Rules of the Border Security Force, Headquarters, Assistant Sub Inspector (Draftsman Grade-III), Operational Directorate (Combatised) Recruitment Rules-2012 published in the Official Gazette vide GSR – 879(E) dated 03.12.2012 are forwarded herewith for your kind information and necessary action, please.

(Kuldeep Saini)
Dy Inspector General(Confdl)
03 Jan, 2013

Distribution :-

1. Spl DG BSF Kolkata & Chandigarh
2. All IsG at FHQ BSF
3. PS to DG BSF/
4. PS to Addl DsG BSF
5. FA BSF HQ
6. Prov Dte/ Engg Cell
7. PAD BSF
8. Law Branch and D&L Branch, FHQ BSF
9. Staff Section/Recruitment Section/Estt Section
10. NGO's Promotion Desk – Pers Section
11. IT Wing FHQ BSF – for placing on the Web Site of the Force.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2012/अग्रहायण 15, 1934
No. 625] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2012/AGRAHAYANA 15, 1934

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 879(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय, नक्शानवीस श्रेणी–।।, (संक्रिया निदेशालय) (गैर योधक) भर्ती नियम 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय में नक्शानवीस श्रेणी –।। (गैर योधक) (संक्रिया निदेशालय) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, सहायक उप निरीक्षक (नक्शानवीस श्रेणी – ।।।), संक्रिया निदेशालय (योधक) भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान .– पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .– वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. अधिवर्षिता :– (1) ऐसा व्यक्ति जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया है, उस मास की अंतिम तारीख के अपराह्न में, जिसको वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है सेवा से सेवा निवृत्त होगा:

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति, जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, उस मास से पूर्व मास की अन्तिम तारीख को सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की आयु के पश्चात् सेवा विस्तारण प्रदान नहीं किया जाएगा।

6. चिकित्सक दृष्टया योग्यता :– इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल ऐसे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–I, में हैं, इन नियमों के उपबंधों के अधीन इन पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

शेप–1 का तात्पर्य नीचे परिभाषित चिकित्सा श्रेणी हैं :–

(i) चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिकारी का यथानिर्धारित मानकों के तहत किया गया और कूट अक्षरों SHAPE द्वारा इंगित चिकित्सा श्रेणीकरण निम्नलिखित को दर्शाता है:–

S– मनोवैज्ञानिक
H –श्रवण क्षमता
A –एपेंडेजज
P –शारीरिक क्षमता
E –दृष्टि क्षमता

(ii) प्रत्येक कारक के अधीन, किसी अधिकारी की कार्यात्मक क्षमता, प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 की कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी। कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी कारकों में श्रेणी– I में हैं वहां उसका प्रवर्ग एस1एच1ए1पी1ई1 लिखने के बजाए शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा। इन अंकों का सामान्य मूल्यांकन निम्नानुसार है:–

(1) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(2) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों को श्रवण शक्ति या दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अन्तर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं।

(3) "एस" कारक को छोड़कर, नैमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाडी भूखंडों पर दीर्घ कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती है।

(4) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य

(5) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य।